

झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

॥ आदेश ॥

झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रत्येक डिपो से मदिरा का उठाव व्यवस्थित एवं सुचारु तथा पारदर्शी तरीके से सम्पादित किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि डिपो से मदिरा का उठाव एक व्यवस्थित तरीके से सम्पादित किया जाय। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :-

1- प्रत्येक अनुज्ञाधारी, झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो से मदिरा के निर्गमन हेतु पारक, झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो प्रबन्धक को प्रत्येक कार्यदिवस के 1.30 बजे अपराह्न तक अवश्य उपलब्ध करा देंगे। अपराह्न 1.30 बजे के उपरान्त उपलब्ध कराये गये पारकों पर निर्गमन अगले कार्य दिवस को दिया जाएगा।

2- झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो प्रबन्धक, अपराह्न 1.30 बजे तक प्राप्त पारकों को क्रमांक आवंटित करते हुये सूचीबद्ध करेंगे तथा क्रमानुसार पारक पर निर्गमन देना सुनिश्चित करेंगे।

यदि कार्य अवधि तक पारकों पर निर्गमन देना संभव न हो तो अंतिम निर्गमन वाले क्रमांक के बाद वाला क्रमांक अगले कार्यदिवस के लिये प्रथम क्रमांक होगा एवं तदनुसार निर्गमन दिया जाएगा।

3- झारखण्ड राज्य में कार्यरत झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सभी डिपो प्रबन्धक, प्रतिदिन प्राप्त पारकों की सूची (क्रमानुसार) तथा निर्गमन दिये गये पारकों की सूची (क्रमानुसार) कार्य अवधि के उपरान्त झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय को ई-मेल के माध्यम से संध्या 5.00 बजे तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4- यदि किसी तार्किक कारण की वजह से किसी पारक के विरुद्ध निर्गमन नहीं दिया गया है तो कारण सहित उसका भी उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे।

सचिव-सह-आयुक्त उत्पाद-सह-प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची।

ज्ञापांक-2/विधि-26-07/2013 85

राँची, दिनांक- 16/01/2015

प्रतिलिपि-महाप्रबन्धक (संचालन)/महाप्रबन्धक (वित्त), झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/सभी उपायुक्त उत्पाद, झारखण्ड/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड/सभी अधीक्षक उत्पाद, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव-सह-आयुक्त उत्पाद-सह-प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची।

ज्ञापांक-2/विधि-26-07/2013 85

राँची, दिनांक- 16/01/2015

प्रतिलिपि-सभी डिपो प्रबन्धक/सभी 19सी (वितरकता) अनुज्ञाधारी, झारखण्ड/सभी खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी, झारखण्ड/प्रबन्धक, आईटीओ, झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव-सह-आयुक्त उत्पाद-सह-प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची।